न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–5, जयपुर महानगर, द्वितीय ग्रीष्मकालीन अवकाश न्यायालय

**पीठासीन अधिकारी : सीमा ढाका,
आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

**(1)–जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 103/2026
सीआईएस नंबर : 1400/2026**

समन्दर दमामी पुत्र स्व0 घनश्याम दमामी उम्र 32 वर्ष, निवासी गांव सराना, पोस्ट मगरा, पुलिस थाना गांधी नगर, किशनगढ, जिला अजमेर

——प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

——अप्रार्थी

**(2)–जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 105/2026
सीआईएस नंबर : 1426/2026**

अजय कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह उम्र 29 वर्ष, निवासी गांव लाम्बी सेहड, पुलिस थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान, हाल मकान संख्या 10, तारानगर सी, लोहामण्डी रोड, पुलिस थाना हरमाडा, जयपुर पश्चिम

——प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

——अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 72/2026 पुलिस थाना जालूपुरा, जयपुर (उत्तर) अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई टी एक्ट

उपस्थित :–
1. श्री गोवर्धन सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त समन्दर दमामी
2. श्री गजेन्द्र माली, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त अजय कुमार
3. श्री कमल किशोर मीणा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य

: **आदेश** : **दिनांक : 06.06.2026**

01– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **समन्दर दमामी एवं अजय कुमार** की ओर

से जमानत के पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–द्वितीय के यहां प्रस्तुत किये गये, जहां से सुनवाई एवं विधिनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुये।

02– उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के ग्रीष्मावकाश पर होने से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय के आदेश क्रमांक स्था0/2026/2443 दिनांक 30.05.2026 द्वारा उक्त न्यायालय का आवश्यक व दैनिक कार्य सम्पादित करने हेतु मुझ पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किये जाने से उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई करने हेतु मुझ पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हुये। जिनकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई, केस डायरी तलब की गई।

03– चूंकि उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण/प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है, अतः उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण इस आदेश के द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

04– जमानत प्रार्थना पत्रों पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

05– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी बनवारी लाल, सहायक उप निरीक्षक ने उपस्थित थाना जालूपुरा होकर एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 17.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर धन्ना राम, हैड कानि. मय जाप्ता द्वारा होटल केण्डी पेलेस, जालूपुरा, जयपुर के रुम नम्बर 203 का होटल मैनेजर बबन की मौजूदगी में चैक किया गया तो उक्त कमरे में मौजूद व्यक्तियों ने कमरे का गेट नहीं खोला और कमरे के पीछे की खिडकी खोलकर भागने लगे। जिस पर जाप्ता की मदद से होटल की घेराबन्दी की तो दो शख्स खिडकी से नीचे कूदकर गणपति प्लाजा की ओर से भाग गये तथा तीसरा शख्स पडौस मे स्थित मकान नम्बर 01 बी की छत पर कूद गया, जिसको मय जाप्ता द्वारा मकान मालिक विजय कुमार पुत्र द्वारकादास से गेट खुलवाकर उसकी मौजूदगी मे दस्तयाब किया जाकर शख्स राजेन्द्र कुमार बैरवा की पीठ पर काले रंग का बैग मिला। शख्स से नाम पता पुछा तो अपना नाम राजेन्द्र बैरवा पुत्र घासीलाल, जाति बैरवा, उम्र 26 साल, निवासी ग्राम मण्डावर, तहसील टोंक, पुलिस थाना टोंक, जिला टोंक बताया तथा उसके साथ रुके

लडकों का नाम पूछा तो एक साथी का नाम सूरज मोबाइल नम्बर 7558500802 होना बताया व तीसरे साथी का नाम नही जानना बताया। शख्स राजेन्द्र के पास मौजूद बैग में रखे सामान के संबंध मे पूछा गया तो कोई सन्तोषप्रद जबाब नहीं देने पर हैड कानि0 धन्ना राम द्वारा बैग को चैक किया गया, बैग के अन्दर के विभिन्न कम्पनियों के कुल 19 मोबाइल फोन, एक लेपटॉप, 03 मोबाइल चार्जर, 5 लेपटॉप चार्जर, एक प्लास्टिक की थैली कोरियर कम्पनी की पायी गयी। जिनके संबंध मे हैड कानि. द्वारा मौके पर शख्स राजेन्द्र से उक्त मोबाइल फोन व अन्य सामान के मालिकाना हक से संबंधित कागजात पूछे गये तो अपने पास नहीं होना बताया एवं ना ही मौके पर पेश किये। उक्त सभी मोबाइल फोन संग्दिध प्रतीत/साईबर ठगी के उपयोग में लेना पाये जाने पर उक्त सभी मोबाइल फोन को शख्स राजेन्द्र के कब्जे से धारा 106 बीएनएसएस, 2023 में जब्त किये गये थे। जिनकी जाँच निर्देशानुसार उसके जुम्मे की गयी थी एवं शख्स राजेन्द्र बैरवा जो होटल के कमरे की खिडकी से कूदने के कारण चोटग्रस्त हो गया था। जिसे वास्ते इलाज हेतू एस.एम.एस. हॉस्पीटल के ट्रोमा वार्ड मे भर्ती करवाया था। दौराने जाँच उक्त 19 मोबाइल फोन का निरीक्षण कम्प्यूटर एलसी जितेन्द्र कुमार नं0 9904 की सहायता से विश्लेषण किया गया। शख्स राजेन्द्र बैरवा के कब्जे से जब्त शुदा मोबाइल फोन से शख्स राजेन्द्र बैरवा अपने दो साथी सूरज व अन्य के साथ मिलकर होटल केण्डी पेलेस का कमरा किराये पर लेकर उक्त मोबाइल फोन से साईबर ठगी वित्तीय फ्रॉड जैसे लेनदेन के उपयोग में लेना पाया गया है। समन्वय पोर्टल पर दर्शित शिकायतों के अनुसार उक्त खातों में विभिन्न माध्यमों के द्वारा विवादित राशि के लाखों रुपये जमा हुए हैं। उक्त मोबाइल फोन व मोबाइल मे मिले स्क्रीनशॉट व समन्वय पोर्टल पर मिली शिकायतों के विश्लेषण से पुष्ट होती है कि शख्स राजेन्द्र बैरवा व उसके साथी उक्त संदिग्ध बैंक खातों को खाताधारकों से किराये पर एक योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षडयन्त्र के तहत बाहरी राज्यों हरियाणा, उत्तराखण्ड, गुजरात महाराष्ट्र, बिहार व अन्य राज्यों के लोगो के साथ हुई साईबर ठगी/वित्तीय धोखाधडी के रुपयों को जमा करवाकर निकाल कर स्वयं को लाभ एवं आमजन को हानि कारित की जा रही है। संग्दिध खाताधारकों व शख्स राजेन्द्र बैरवा व सूरज व एक अन्य के विरुद्ध प्राप्त रिकार्ड के अनुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतू जाँच रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 318(4), 316 (2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66 डी आईटी एक्ट का अपराध घटित होना पाया गया है, इत्यादि।

06— उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना जालूपुरा, जयपुर (उत्तर) में एफ. आई.आर. संख्या 72/2026 धारा 318(4), 316 (2) व 61 (2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई टी एक्ट दर्ज कर दौराने अन्वेषण प्रार्थी/अभियुक्त समन्दर दमामी को दिनांक 23.05.2026 एवं प्रार्थी/अभियुक्त अजय कुमार को दिनांक 20.05.2026 को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 26.05.2026 को अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उक्त जमानत के आवेदन पेश किये गये।

07— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने दौराने बहस जमानत आवेदन पत्रों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है तथा प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रार्थीगण से किसी प्रकार की बरामदगी या पूछताछ शेष नहीं है। अभियोजन का पूरा मामला अनुमान पर आधारित है। प्रार्थीगण के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण के अन्य अभियुक्त राजेन्द्र कुमार बैरवा की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय के निर्देशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

08— इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कथन किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर अपराध होने से प्रार्थीगण का जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जावे।

09— केस डायरी व प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर प्रकरण के सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर लोगों के बैंक खाते, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड धोखाधडीपूर्वक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का हवाला देकर प्राप्त करने, खाताधारकों की सिम कार्ड मोबाइल में डालकर ऑनलाईन लेनदेन करने, अन्य लोगों के साथ किये गये साईबर फ्रॉड की गई राशि को उक्त बैंक खातों में हस्तान्तरण करवाकर उक्त राशि अपने साथियों के साथ एटीएम से निकालने

व दूसरे बैंक खातों में एटीएम से नगद जमा करवाने व उक्त कार्य के बदले मोटा कमीशन प्राप्त करने के आरोप में प्रकरण धारा 318 (4), 316 (2) व 61 (2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई टी एक्ट में अनुसंधानाधीन है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अब तक हुये अनुसंधान से प्रार्थीगण ⁄ अभियुक्तगण एवं अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 318 (4), 316 (2) व 61 (2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई टी एक्ट के अपराध प्रमाणित पाये गये हैं। प्रकरण के सह अभियुक्त राजेन्द्र कुमार बैरवा का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05. 2026 को एवं महीपाल सिंह राठौड का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2026 को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये गये हैं। प्रार्थीगण की ओर से दौराने बहस प्रकरण के सह अभियुक्त राजेन्द्र कुमार बैरवा की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्वीकार होने से उन्हें जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है। अभियुक्त राजेन्द्र कुमार बैरवा की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस.बी.क्रिमीनल मिस0 बेल एप्लीकेशन नम्बर 7414 ⁄ 2026 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2026 को स्वीकार किया गया है, परन्तु उक्त अभियुक्त राजेन्द्र कुमार बैरवा घटना के दिन ही गिरफ्तार हुआ है एवं प्रार्थी अजय कुमार मौके से फरार होना बताया गया है तथा प्रार्थी ⁄ अभियुक्त अजय कुमार को दिनांक 20.05.2026 को एवं प्रार्थी समन्दर दमामी को दिनांक 23.05.2026 को गिरफ्तार किया गया। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थी अजय व अन्य अभियुक्तगण के नाम से होटल केंडी पैलेस में कमरे बुक कराये गये थे।

10— जहां तक प्रार्थी ⁄ अभियुक्त समन्दर दमामी के अपराध का प्रश्न है, तो इस अभियुक्त के नाम सिम व विभिन्न बैंकों में खाते होने व उनमें साईबरी ठगी की राशि जमा होने व ट्रांसफर होने तथा प्रति लाख पर 20 हजार रूपये प्राप्त करना बताया गया है, इस प्रकार प्रार्थी ⁄ अभियुक्त समन्दर दमामी की भी इस प्रकरण में सक्रिय भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ⁄ अभियुक्तगण सादर न्यायिक दृष्टान्त खेत सिंह व अन्य बनाम राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर जमानत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं। यद्यपि प्रार्थीगण के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रार्थीगण ⁄ अभियुक्तगण व अन्य अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना एवं उनसे मिले अन्य 19 मोबाइल फोन व लैपटॉप इत्यादि को देखते हुये तथा प्रार्थीगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता, प्रकृति व प्रकरण के समस्त तथ्यों व

परिस्थितियों को देखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं।

आ दे श

11— निष्कर्षतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **समन्दर दमामी एवं अजय कुमार** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाता है।

(सीमा ढाका)
ग्रीष्मकालीन अवकाश न्यायालय
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम—5
जयपुर महानगर, द्वितीय

12— आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सीमा ढाका)
ग्रीष्मकालीन अवकाश न्यायालय
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम—5
जयपुर महानगर, द्वितीय